

स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या : 21020/1/2012-हिंदी

भारत-सरकार
गृह-मंत्रालय
समन्वय-प्रभाग
राजभाषा-शाखा

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : दिसंबर 09, 2013

सेवा में,

श्री प्रवीण जैन,
ए-103, आदीश्वर हाउसिंग सोसायटी,
श्री दिगंबर जैन के पीछे, सेक्टर-9ए,
वाशी, नवी मुम्बई-400703

17/12/13
May like to deal.
AD
G
Tata

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने का आवेदन । महोदय,

इस मंत्रालय के दिनांक 24.07.2013 के कार्यालय-ज्ञापन सं. ए-43020/01/2013-आर.टी.आई के माध्यम से दिनांक 29.07.2013 को इस मंत्रालय की राजभाषा शाखा में मिले आपके दिनांक 04.07.2013 के सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदन के संदर्भ में, इस मंत्रालय की राजभाषा-शाखा के कार्य-क्षेत्र से सम्बद्ध बिन्दुओं पर उपलब्ध संगत सूचना, इस मंत्रालय के दिनांक अक्टूबर 25/29, 2013 के समसंख्यक पत्र द्वारा आपको पहले ही भेजी जा चुकी है ।

2. इस मंत्रालय के दिनांक 12.11.2013 के कार्यालय-ज्ञापन सं. ए-43020/01/2013-आर.टी.आई. के माध्यम से दिनांक 14.11.2013 को इस मंत्रालय की राजभाषा-शाखा में मिले आपके दिनांक 06.11.2013 के सूचना के अधिकार से संबंधित ऑनलाइन आवेदन एम एच ओ एम ई/आर/2013/61633 के संदर्भ में इस मंत्रालय की राजभाषा-शाखा के कार्य-क्षेत्र से सीधे जुड़े बिन्दुओं पर उपलब्ध संगत सूचना निम्नानुसार, बिन्दु-वार प्रस्तुत की जा रही है :-

बिन्दु संख्या 04 : गृह-मंत्रालय में राजभाषा-अधिनियम, राजभाषा नियम और भारत-सरकार की राजभाषा-नीति के पालन के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं । इस दिशा में समय-समय पर हिंदी कार्यशालाएं आयोजित करके गृह-मंत्रालय के कार्मिकों को राजभाषा-अधिनियम, राजभाषा-नियम और भारत-सरकार की राजभाषा-नीति से जुड़ी अपेक्षाओं की सम्यक् जानकारी करवाई जाती है । भारत-सरकार के गृह-मंत्रालय के राजभाषा-विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, गृह-मंत्रालय में मूल रूप से हिंदी में टिप्पणियां और प्रारूप लिखे जाने के प्रोत्साहन की वार्षिक नक़द पुरस्कार-योजना और अधिक से अधिक डिक्टेशन हिंदी में दिए जाने के प्रोत्साहन की वार्षिक नक़द पुरस्कार-योजना संचालित करके, गृह-मंत्रालय के कार्मिकों को अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के प्रति प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है । इस सिलसिले में प्रति वर्ष हिंदी-माह के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन से भी कार्मिकों में हिंदी के प्रति और अधिक रुचि जगाकर, उन्हें अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के प्रति प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

बिन्दु संख्या 05 : गृह-मंत्रालय द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान, जनवरी 27, 2012, जून 18, 2012 और मई 31, 2013 को गृह-मंत्रालय के सभी अधिकारियों, अनुभागों, डैस्कों और गृह-मंत्रालय के नियंत्रक के

अधीन सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय तथा सभी संघ-राज्य-क्षेत्र-प्रशासनों को भारत-सरकार की राजभाषा-नीति के समुचित कार्यान्वयन के सिलसिले में राजभाषा-अधिनियम, 1963 (1967 में यथा संशोधित), राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (1987 में यथा संशोधित), राजभाषा-विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों, हिदायतों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा संसदीय राजभाषा-समिति की पहली उप समिति द्वारा गृह-मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों के राजभाषाई निरीक्षण के दौरान दिए गए निदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के बारे में विशेष निदेश जारी किए गए।

बिन्दु संख्या 06 : गृह-मंत्रालय की हिंदी-सलाहकार-समिति की पिछली बैठक 21.02.2012 को हुई थी। इस समिति का 03 वर्ष का कार्यकाल, 20.10.2013 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप, इस समय इसके पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। इस समिति की अगली बैठक, इसके पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद की जाएगी। इस मंत्रालय की राजभाषा-कार्यान्वयन-समिति की पिछली बैठकें, दिनांक 07.02.2011, 27.06.2011, 23.08.2011, 10.10.2011, 14.03.2012, 19.06.2012, 21.09.2012, 10.10.2012, 24.02.2013, 10.05.2013 और 04.10.2013 को हुईं। इस समिति की अगली बैठक शीघ्र होने वाली है।

बिन्दु संख्या 07 : गृह-मंत्रालय एक बहुत बड़ा मंत्रालय है। इसमें अधिसंख्य कार्मिक कार्यरत हैं और वे अपना काम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कर रहे हैं। इस बारे में समेकित सूचना उपलब्ध नहीं है कि इनमें से कितने कार्मिक अपना काम केवल अंग्रेजी में कर रहे हैं।

बिन्दु संख्या 08 : गृह-मंत्रालय में सरकार की राजभाषा-नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यतः 01 सहायक निदेशक और 02 सहायक (01 पद रिक्त) नियुक्त हैं। फिर भी, 01 निदेशक, 02 उप निदेशक (दोनों पद रिक्त), 05 सहायक निदेशक और 12 वरिष्ठ अनुवादक (01 पद रिक्त) 05 कनिष्ठ अनुवादक (02 पद रिक्त) बहुत भारी मात्रा में सौंपे जाने वाले विविध विषयक कागजात के अत्यन्त समयबद्ध आधार पर अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद के कार्य के निष्पादन के साथ-साथ, सरकार की राजभाषा-नीति के अनुपालन में भी सहायता करते हैं।

बिन्दु संख्या 10 : इस मंत्रालय में कार्मिकों को उनके सामान्य भविष्य-निधि-खाते से अग्रिम/आहरण की मंजूरी, उनके अर्जित अवकाश के खाते में जमा अर्जित अवकाश में से अर्जित छुट्टियों की मंजूरी, यात्रा-भत्ता-अग्रिम की मंजूरी, छुट्टी-यात्रा-रियायत-भत्ता अग्रिम की मंजूरी, उन्हें देय छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ लेने की अनुमति दिए जाने, उन्हें उनके और उनके परिवार के सदस्यों का इलाज करवाने पर किए जाने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति की मंजूरी दिए जाने आदि से संबंधित काम-काज प्रायः मूल रूप से हिंदी में किया जाता है।


बिन्दु संख्या 13 : पिछले 02 वर्षों के दौरान, गृह-मंत्रालय द्वारा सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के बारे में तिमाही-प्रगति-रिपोर्ट हरेक तिमाही की समाप्ति के बाद राजभाषा-विभाग को भेज दी गई। मार्च 31, 2012 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट, 05.06.2012 को, जून 30, 2012 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट, 20.09.2012 को, सितम्बर 30, 2012 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट, 17.01.2013 को, दिसम्बर 31, 2012 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट, 15.04.2013 को, मार्च 31, 2013 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट, 26.08.2013 को और जून 30, 2013 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट, 26.08.2013 को भेज दी गई। सितम्बर 30, 2013 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति-रिपोर्ट के संकलन और समेकन की प्रक्रिया जारी है।

बिन्दु संख्या 14 : गृह-मंत्रालय में प्रेस विज्ञप्तियां, मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार की जाती हैं और उनका हिंदी में अनुवाद करवाकर, उन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी किया जाता है।

बिन्दु संख्या 15 : गृह-मंत्रालय में प्रेस-विज्ञप्तियां, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ प्रेस को भेजी जाती हैं।

3. जहां तक आपके ऊपर संदर्भित सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदन के बिन्दु संख्या 01, 02 और 03 का संबंध है, ये बिन्दु इस मंत्रालय के अवर सचिव, समन्वय-प्रभाग (सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग) से संबंधित हैं। अतः आपके उपर्युक्त आवेदन की एक प्रति उन्हें यथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।
4. आपके उपर्युक्त आवेदन का बिन्दु संख्या 09 इस मंत्रालय के निदेशक (प्रशासन/मुख्य सुरक्षा अधिकारी)-प्रशासन अनुभाग-III से संबंधित है। अतः आपके उपर्युक्त आवेदन की एक प्रति उन्हें यथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।
5. जहां तक आपके उपर्युक्त आवेदन के बिन्दु संख्या 11 और 12 का संबंध है, ये बिन्दु इस मंत्रालय के सभी केन्द्रीय लोक-सूचना-प्राधिकारियों से संबंधित हैं। अतः आपके उपर्युक्त आवेदन की एक-एक प्रति इस मंत्रालय के सभी केन्द्रीय लोक-सूचना-प्राधिकारियों को इन बिन्दुओं के संबंध में आपको सूचना उपलब्ध करवाने हेतु भेजी जा रही है।
6. जहां तक आपके उपर्युक्त आवेदन के बिन्दु संख्या 16 का संबंध है, ये बिन्दु इस मंत्रालय के निदेशक (पुलिस कार्मिक) और उप सचिव (पुलिस-वित्त) से संबंधित प्रतीत होता है। अतः आपके उपर्युक्त आवेदन की एक प्रति उन्हें यथा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भेजी जा रही है।
7. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अनुसार, अपील प्राधिकारी, श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (समन्वय, लोक-शिकायत और प्रशासन), कक्ष संख्या-194, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001, दूरभाष संख्या 011-23093178 हैं।

भवदीय,


(अवधेश कुमार मिश्र)

निदेशक (राजभाषा) और केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी

ऊपर संदर्भित आवेदन की प्रतिलिपि सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. अवर सचिव (समन्वय-प्रभाग) (सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग) गृह-मंत्रालय को संलग्न आवेदन के बिन्दु सं. 01, 02 और 03 के संबंध में।
2. मुख्य सुरक्षा अधिकारी (विभागाध्यक्ष) तथा केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी, गृह-मंत्रालय को संलग्न आवेदन के बिन्दु सं. 09, 11 और 12 के संबंध में।
3. निदेशक (पुलिस-कार्मिक) और केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी, गृह-मंत्रालय को संलग्न आवेदन के बिन्दु सं. 11, 12 और 16 के संबंध में।
4. उप सचिव (पुलिस-वित्त) और केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी, गृह-मंत्रालय को संलग्न आवेदन के बिन्दु सं. 11, 12 और 16 के संबंध में।
5. गृह-मंत्रालय के सभी केन्द्रीय लोक-सूचना-प्राधिकारी (संलग्न सूची के अनुसार) संलग्न आवेदन के बिन्दु सं. 11 और 12 के संबंध में।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

अवर सचिव (आर टी आई अनुभाग), नोर्थ ब्लॉक, को उनके दिनांक 12.11.2013 के ऊपर दर्शाए गए कार्यालय-ज्ञापन सं. ए.43020/01/2013-आर.टी.आई. के संदर्भ में।


(अवधेश कुमार मिश्र)

निदेशक (राजभाषा) और केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी

No.A-43020/ 01 /2013-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya


New Delhi, Dated the 12th 11th, 2013.OFFICE MEMORANDUM

Subject: Application of Shri/Smt/Kum. Praveen Jain
..... under the Right to
Information Act, 2005.

The undersigned is directed to forward herewith an ^{online} application dated 06/11/2013 under the RTI Act, 2005 of Shri/Smt/Kum. Praveen Jain (received in this Ministry on 06/11/2013 /by transfer from Office of Secy) to Office of Secy Division for providing information, as the requested information pertains to/more closely related to the functions of the said Division. It is requested that if the subject matter pertains to any other CPIO/Public Authority, the application may be further transferred to that Authority directly, under intimation to the applicant.

3. The applicant has paid the requisite fee of Rs.10/- vide ^{online} Receipt No. dated/...../2013 (copy enclosed) / not paid the fee since he claims to/belongs to the Below Poverty Line (BPL) Category.

Encl: As above.


(S. Samanta)

Under Secretary to the Govt. of India.

To: The Director (Official Language)
.....
Ministry of Home Affairs
.....
New Delhi, B.O. Ck, New Delhi

Copy for information to:

Shri/Smt/Ms. Praveen Jain
.....
to 3-A, Adishwar, C.P.S. Sector - 9A,
Vashi, Navi Mumbai - 400703

(He/She is requested to contact the above-mentioned CPIO/Public Authority for further information in the matter).

RTI REQUEST DETAILS

Registration No. : MHOME/R /2013/61633 **Date of Receipt :** 06/11/2013

Type of Receipt : Online Receipt **Language of Request :** English

Name : Praveen Jain **Gender :** Male

Address : 103A, Adishwar CHS, Sector-9A, Vashi, Navi Mumbai , Pin:400703

State : Maharashtra **Country :** India

Phone No. : Not Provided **Mobile No. :** +91-9819983708

Email : cs.praveenjain@gmail.com

Status(Rural/Urban) : Not Provided **Education Status :** Not Provided

Is Requester Below Poverty Line ? : No **Citizenship Status :** Indian

Amount Paid : 10 **Mode of Payment :** Payment Gateway

Mode(s) of information Supply : Hard Copy **Request Pertains to :** Yet to be assign to CPIO

Information Sought : aavedan sanlagna hai

210 RTI
1946 JAT 12/13
6/11

दिनांक: ५ नवंबर २०१३

प्रति,
केन्द्राध्य लोक सूचना अधिकारी
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के अधीन सूचना पाने हेतु आवेदन
सन्दर्भ: ऑनलाइन आरटीआई आवेदन क्र. MHOME/R/2013/60186 दिनांक ४ जुलाई २०१३

महोदय,

कृपया ध्यान दें कि चार महीनों बाद भी आपके मंत्रालय ने उक्त आवेदन में माँगी गई सूचनाएँ प्रदान नहीं की हैं और मेरा आवेदन सामान्य सूझबूझ का प्रयोग किए बिना ही राजभाषा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था और उसके बाद राजभाषा विभाग ने आवेदन मंत्रालय को वापस कर दिया था। मेरे आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा था कि सारे प्रश्न गृह मंत्रालय के मुख्यालय से सम्बंधित हैं। आपसे अनुरोध है कि उक्त ऑनलाइन आरटीआई आवेदन क्र. MHOME/R/2013/60186 दिनांक ४ जुलाई २०१३ का शीघ्र निपटारा करवाएँ और वांछित सूचनाएँ उपलब्ध करवाएँ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएँ प्रदान करें, सारी सूचनाएँ केवल गृह मंत्रालय के मुख्यालय से सम्बंधित हैं इसलिए अनुरोध है कि मेरे आवेदन को मुख्यालय के बाहर हस्तांतरित ना किया जाए:

1. प्रधानमंत्री कार्यालय का आदेश 27 अगस्त 1999, राजभाषा विभाग का निदेश 22 सितम्बर 1999 एवं संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुतियों पर राष्ट्रपति महोदय के आदेश वर्ष 2008 में भारत सरकार की वेबसाइटों को द्विभाषी बनाये जाने के लिए कहा गया है और हर वर्ष राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रमों में भी निदेश देता है। फिर भी गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट अंग्रेजी अलग बनाई है और हिंदी में अलग बनाई है। साथ ही गृह मंत्रालय ने भारत के परम पावन संविधान के प्रावधानों के विपरीत अंग्रेजी वेबसाइट का प्राथमिकता दी है, अंग्रेजी वेबसाइट पहले खुलती है, अंग्रेजी वेबसाइट हमेशा पहले अद्यतित की जाती है जबकि हिन्दी वेबसाइट की बार उपेक्षा की जाती है। गृह मंत्रालय अपनी मुख्य वेबसाइट को पत्र सूचना कार्यालय की तरह एक साथ दोनों भाषाओं को प्रदर्शित करने वाली द्विभाषी वेबसाइट के रूप में कब आरम्भ करेगा? (जिसमें हिन्दी को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए संविधान ने अनुच्छेद ३५१ में भारत सरकार को स्पष्ट निर्देशित किया है।)
2. राजभाषा विभाग के १९९२ के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि हिन्दी का प्रयोग हमेशा अंग्रेजी से पहले/आगे/ऊपर किया जाएगा जबकि अभी वेबसाइट पर अंग्रेजी को प्राथमिकता, पहले खुलने की व्यवस्था की गई है, इसलिए बताएं कि कितने वर्षों में गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट पीआईबी के जैसी 100% द्विभाषी रूप में तैयार कर ली जाएगी, जिसमें हिन्दी पाठ्य सामग्री में हिन्दी फाइलें (पीडीएफ अथवा वर्ड) ही अनुलग्न की जाएँगी?
3. गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट के हिन्दी पृष्ठों पर भी अन्य अंग्रेजी वेबसाइटों के लिंक डाले जाते हैं ना कि संबंधित हिन्दी वेबसाइट के लिंक, ऐसा किस नियम के अर्धन किया जा रहा है? नियमानुसार हिन्दी पाठ्य के साथ हिन्दी वेबसाइटों को जोड़ा जाना चाहिए।
4. गृह मंत्रालय ने अपने मुख्यालय में राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली एवं राजभाषा नीति के पालन के लिए क्या-२ विशेष कदम उठाये हैं?
5. गृह मंत्रालय के मुख्यालय से अधीनस्थ निकायों/ संस्थानों/कार्यालयों को पिछले दो वर्षों में राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली एवं राजभाषा नीति के पालन के लिए क्या-२ विशेष निर्देश जारी किए गए?
6. गृह मंत्रालय के मुख्यालय की हिन्दी सलाहकार समिति एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठकें कब हुई थीं और अगली बैठकें कब होने वाली हैं?
7. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में कितने अधिकारी और कार्मिक केवल अंग्रेजी में काम करते हैं?
8. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में राजभाषा अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कितने अधिकारी नियुक्त किए गए हैं?

9. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में वर्तमान में प्रयोग में लायी जा रही निम्नलिखित मदों में से कितनी द्विभाषी और कितनी केवल अंग्रेजी में बनायी गई हैं, अलग २ संख्या बताएँ:

क. पत्र-शीर्ष,

ख. अधिकारियों के आगतक-पत्र (विजिटिंग कार्ड),

ग. लिफाफे,

घ. प्रवेश-पास,

ङ. रवर की मुहरें

च. अधिकारी नामपट्ट

छ. अधिकारी-कार्गिक परिचय-पत्र

ज. फॉर्म/आवेदन-पत्रों के प्रारूप

झ. ऑनलाइन फॉर्म

10. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में वर्तमान में कौन से कार्य मूल रूप से हिन्दी में किए जाते हैं, सूचित करें?

11. अप्रैल २०१३ से लेकर अक्टूबर २०१३ तक गृह मंत्रालय के मुख्यालय में द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत सम्प्रतः जारी १) प्रतिवेदन, २) प्रशासकीय आदेश, ३) कार्यालयीन ज्ञापन, ४) परिपत्र, ५) सूचना, ६) अधिसूचना, तथा ७) एंटी फॉर्म की अलग-२ कुल संख्या सूचित करें और यह भी सूचित करें कि इनमें से कितने द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) में जारी किए गए और कितने केवल अंग्रेजी में?

12. अप्रैल २०१३ से लेकर अक्टूबर २०१३ तक गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा निष्पादित सविदाओं और करारों, अनुज्ञापत्रों और निविदा-प्रारूपों की अलग-२ कुल संख्या सूचित करें और यह भी सूचित करें कि इनमें से कितने द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) में तैयार किए गए और कितने केवल अंग्रेजी में?

13. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा पिछले दो वर्षों में कब-२ राजभाषा अनुपालन की त्रैमासिक रिपोर्टें राजभाषा विभाग को भेजी गईं?

14. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा प्रेस विज्ञप्तियाँ मूल रूप से किस भाषा में लिखी जाती हैं और उसका अनुवाद किस भाषा में किया जाता है?

15. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा हिन्दी प्रेस विज्ञप्तियाँ किस किस को भेजी जाती हैं?

16. गृह मंत्रालय के कई अर्धनस्थ कार्यालयों/ब्यूरो/आयोगों/संस्थानों आदि ने अपने प्रतीक चिह्न (लोगो) एवं वेबसाइटें राजभाषा सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अब तक केवल अंग्रेजी में ही बनाई हैं, इसके सम्बन्ध में गृह मंत्रालय के किस अधिकारी को शिकायत की जानी चाहिए?

आवृत्तक

ह/-

प्रवीण जैन

ए-103, आदीश्वर सोसाइटी

सेक्टर 9ए, वाशी

नवी मुंबई - ४००७०३

टीप: आवेदन शुल्क १० रुपये का ऑनलाइन भुगतान

क्र.सं. १(जारी)


सूचना का अधिकार
स्पीड पोस्ट

By
Speed post

संख्या 40-14/2013/एनडीएम-(भाग)

भारत सरकार/गृह मंत्रालय
आपदा प्रबंधन प्रभाग-

'बी' विंग, तीसरी मंजिल, एनडीसीसी-॥ भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-11 001
दिनांक : 17 दिसंबर, 2013



सेवा में

श्री प्रवीण जैन

ए-103 आदीश्वर सोसाइटी

सेक्टर 9ए, वाशी

नवी मुंबई-400 703

18 DEC 2013

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय के दिनांक 09.12.13 के पत्र संख्या 21.20/1/2012-हिंदी का अवलोकन करें । उक्त पत्र की प्रति इस अनुभाग को अंतरित करते हुए मद सं. 11 एवं 12 संबंधी सूचना भेजने का अनुरोध किया है । संदर्भित पत्र दिनांक 16.12.2013 को इस अनुभाग में प्राप्त हुआ है । आपके आवेदन के मद सं. 11 एवं 12 में निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई हैं:-

2. म.सं.11- अप्रैल, 2013 से लेकर अक्टूबर, 2013 तक गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा राजभाषा अधिनियम 3(3) के अंतर्गत समग्रतः जारी (1) प्रतिवेदन (2) प्रशासकीय आदेश (3) कार्यालयीन जापन (4) परिपत्र (5) सूचना (6) अधिसूचना तथा (7) एंटी फार्म की अलग-अलग कुल संख्या सूचित करें और यह भी सूचित करें कि इनमें से कितने द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) में जारी किए गए और कितने केवल अंग्रेजी में ?

3. म.सं.12- अप्रैल, 2013 से लेकर अक्टूबर, 2013 तक गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों, अनुज्ञापत्रों और निविदा-प्रारूपों की अलग-अलग कुल संख्या सूचित

करें और यह भी सूचित करें कि इनमें से कितने द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) में तैयार किए गए और कितने केवल अंग्रेजी में ?

4. उक्त सूचनाएं इस अनुभाग से हिंदी अनुभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को नियमित अंतराल पर भेजी जाती हैं एवं निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय द्वारा उसे समेकित एवं संकलित किया जाना अपेक्षित है ।

5. तथापि इस अनुभाग द्वारा उक्त दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत कोई पत्र जारी नहीं किया गया है ।

6. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो पत्र प्राप्त होने के तीस दिन के अंदर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत श्री आर. के श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव एवं अपील अधिकारी, आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय, 'बी' विंग, तीसरा तल, एनडीसीसी-॥ भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110 001 को अपील कर सकते हैं ।

..

भवदीय,

जी घोष

(गौतम घोष)

उप सचिव एवं के.ज.सू.अ.

फोन नं. 2343 8123

प्रतिलिपि:-

1. श्री अवधेश कुमार मिश्र, निदेशक (राजभाषा) एवं के.ज.सू.अ., गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।